dk;kZy; ftyk ifj"kn guqekux<+

&%% vYidkyhu [kqyh fufonk ds fy, fufonk ,oa lafonk dh 'krsZ %%&

fVIi.kh ::– fufonknkrkvksa dks bu 'krksZa dks lko/kkuhiwoZd i<uk pkfg, rFkk viuh fufonk,sa Hkstrs le; budh iw.kZ :i.k ikyuk djuh pkfg,A

1. जिला हनुमानगढ़ की जिला परिषद हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत रसोई घर उपकरण क्रय हेतु जारी निविदा सूचना संख्या feM&Ms&ehy@crZu Ø;@09&10@8225&29 fnukad 22-02-2010 के लिए निम्नलिखित शर्ते होगी। जिस निविदादाता की दरे अनुमोदित की जायेगी उसे रसोई घर उपकरण पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़/नोहर/भादरा/रावतसर/पीलीबंगा/संगरिया/टिब्बी में निर्धारित दरों पर एफओआर आपूर्ति की जानी होगी।
2. निविदा विक्रय करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2010 को दोपहर 12:00 बजे तक है। भरे हुए निविदा फार्म उक्त दिनांक 15 मार्च, 2010 को दोपहर 2:00 बजे तक स्वीकार किये जावेगें। निर्धारित समय के बाद निविदा स्वीकार नही की जायेगी। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को उक्त दिनांक को ही सांय 4:00 बजे कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। तार एवं फैक्स द्वारा भेजी गई निविदाओं एवं सशर्त निविदांओं पर विचार नही किया जावेगा।
3. निविदा को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में बंद करना चाहिए लिफाफे पर निविदा के कार्य के बारे में लिखना होगा। लिफाफे पर प्रेषक का नाम व पता भी स्पष्ट लिखना होगा।
4. दरे शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जाएगी। पेंसिल से भरी गई अस्पष्ट लिखी गई/अपठनीय किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. निविदा में दरे स्पष्ट अंकित की जायेगी। किसी भी प्रकार की त्रुटियां होने पर ओवर राईटिंग न किया जाकर उसके पास अलग से लिखा जाकर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर करें।
6. दरें गंतव्य स्थान पर एफओआर उद्वत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी कर, केन्द्रीय कर/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों में मामले में दरों मे समस्त करों को

शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभारों का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

7. निविदा शुल्क 100/– रूपये होगा जो कि नगद जमा करवाना होगा।

8. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि 2 प्रतिशत का डिमाण्ड ड्राफ्ट ''मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ के नाम देय संलग्न करना होगा।

9. प्रत्येक सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति पर 5 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवानी होगी। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा को स्वीकार नही किया जावेगा। धरोहर राशि को अमानत राशि में शमिल किया जा सकेगा।

10. रसोई घर उपकरण निर्माता/अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

11. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

¼v½ & नकद/बैंक/ड्राफट/बैंकर्स चैक/ चालान की रसीदी प्रति

¼c½ – डाकघर बचत पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जावेगा।

¼l½ & vYi बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तगर्त राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेन्स सेविंग प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता है। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मुल्य पर स्वीकार किया जावेगा।

12. एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम आपूर्ति से एक माह के भीतर तथा सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि, यदि हो तो, के समाप्त होने के बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्व कोई बकाया नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

13. रसोई घर उपकरणों के नमूने आवश्यक रूप से निविदा के साथ प्रस्तुत करने होगे।

14. संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा। जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देतें।

15. कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है यदि राज्य में प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अन्तगर्त पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का

उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बंधित सरकिल के वाणिज्यिक अधिकारी से बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा तथा बिना निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।

16. राजस्थान के बाहर की फर्मो द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो द्वारा , जो नियमों के अन्तगर्त मुल्य अधिमान के लिए अधिकृत नहीं है, निविदा दरों की तुलना करनें में, राजस्थान बिक्री कर की राशि का शामिल नहीं किया जावेगा। जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जावेगा। राजस्थान के भीतर की फर्मो के सम्बंध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जावेगा।

17. मुल्य अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित यार विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम 1955 के अनुसार दी जावेगी।

18. अनुमोदित प्रदायकर्त्ता के लिए यह समझा जावेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेशीफिकेशन, साइज, मेक एवं ड्रांइग्स आदि की सावधानीपुर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेशीफिकेशन, ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोइ संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व , उसे क्रेता अधिकारी भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

19. सस्था/फर्म/एजेन्सी अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही सौपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नही देगा।

20. प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेशीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी।

21. सप्लाई प्राप्त होने पर इनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जावेगा कि वे स्पेशिफिकेशन या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है।

22. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जावेगी उन्हे रद्द कर दिया जावेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वंय की लागत पर बदलना होगा।

23. निविदादाता उचित पैंकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, टूट फूट या कमी होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्त्ता द्वारा एन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इनके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार्य नहीं होगी।

24. यदि निविदा में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गई शर्तो पर दिये जा सकेगें, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुर्नआदेश मूल रूप से खरीदी गई मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगें तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अंतिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जावेगी उसकी निविदादाता से वसूली की जावेगी।

25. असफल निविदादाता की धरोहर राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासम्भव शीघ्र लौटायी जायेगी।

26. उन फर्मो को जो निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के सम्बंध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्ट्रड की गई है उनके द्वारा मूल पंजीयन करने पर, निविदायें आमन्त्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मुल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

27. अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजन नहीं किया जावेगा तथापि यदि निविदाओं को पुनः आमन्त्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

28. बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जावेगा–

– जब निविदाताता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपन्तरण करता है।
– जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।
– जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
– जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

29. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप–17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

30. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया जायेगा।

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को जब्त करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

31. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

32. भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।

33. अग्रिम भुगतान किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा।

34. विवादास्पद मदों के संबंध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिय जायेगा।

35. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जावे सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।

36. उन मामलों के सम्बंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है भुगतान तभी किया जावेगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।

37- <u>rduhdh ,o foRrh; fufonk vyx&vyx fyQkQ e gkuh pkfg,A loiFke rduhdh fufonk [kkyh tkoxhA rduhdh fufonk e ;kX; ik; tku ij gh foRrh; fufonk [kkyh tkoxhA</u>

38. निविदा प्रपत्र मे सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

39. परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मुल्यों के लिउ की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है।

40. (i) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के लिए – 2.50 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित की आधी अवधि से अनधिक के लिए –5.00 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए –7.50 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए –10.00 प्रतिशत

(ii) विलम्ब की अवधि मे आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(iii) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

41. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तगर्त माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्वि चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

42. यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

43. परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूट–फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसुली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभुति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसुली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

44- lHkh fooknk dk U;kf;d {k= guekux< gkxkA

45. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने यो जिन वस्तुओं के लिए के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के

लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा। क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा में कमी या बढोतरी करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय कमेटी अध्यक्ष जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ का होगा जो सबको स्वीकार्य होगा।

46. निविदादाता द्वारा प्रत्येक रसोई घर उपकरण पर ^^ftyk dk uke ,oa feM&Ms&ehy jktLFkku** का नाम भी अंकित कराकर क्रय समिति के निर्णय के अनुसार बर्तन उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त शर्त निविदादाता फर्म के अनुबन्ध में सम्मिलित की जायेगी।

fufonknkrk ds gLrk{kj

कार्यालय जिला परिषद, हनुमानगढ़

¼fufonk i=k= 'kqYd&100 : i;s½

fufonk izLrqr djus dh vfUre frfFk 15-03-2010 dks nksigj 02%00 cts rd

¼vYidkyhu fufonk lwpuk la[;k feM&Ms&ehy@cztu Ø;@09&10@8225&29 fnukad 22-02-10½

&% fufonk i=k= %&

1. कार्य का विवरण — राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के रसोई घर उपकरण क्रय हेतु
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/ ....
   फर्म/व्यापारी का नाम व पूर्ण पता ....
3. निर्माता/अधिकृत विक्रेता होने का विवरण ....
4. आयकर स्थायी खाता संख्या ....
5. आर.एस.टी./सी.एस.टी./वेट हेतु
   रजिस्ट्रेशन का विवरण ....
6. निविदा किसकों संबोधित की गई — मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हनुमानगढ़
7. संदर्भ सूचना — निविदा सूचना संख्या :–
   दिनांक :–
8. मैने/हमने एमडीएम कार्यक्रम के तहत रसोई घर उपकरण क्रय की निविदा के पेटे कुल धरोहर राशि रूपये .... रूपये डी.डी. संख्या .... दिनांक............................... द्वारा जमा करवा दिये है।
9. मै/हमने कार्यालय जिला परिषद हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या ---------------------------fnukad ---------------------- मे वर्णित सभी शर्तो तथा संलग्न निविदा की शर्तो एवं अतिरिक्त शर्तो का भली भांति अध्ययन कर लिया हे। जिसके लिए बाध्य हूँ/हैं। उन्हें स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
10. मै /हम निम्नलिखित कार्य को उनके सम्मुख अंकित दर सभी करों एंव खर्चे सहित करने एंव देने को सहमत हूँ/है।

fufonknkrk ds gLrk{kj

&% fufonk fooj.k %&

क्र. सं.	आईटम्स का विवरण एवं स्पेशीफिकेशन	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रूपयों मे)	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें समस्त करों सहित (प्रति नग)
	jlkbZ ?kj midj.kksa dk fooj.k&				
1	जी0पी0 सीट से निर्मित लोहे की आयताकार टंकी मय ढक्कन एवं नीचे चारों किनारों पर लोहे के स्टेण्ड सहित तले पर1–1/4 एमएम क्रॉस एंगल, क्षमता 5 क्विंटल, साईज उंचाई 50 ईंच लम्बाई 34 ईंच चौड़ाई 22 ईंच, जी0पी0 सीट का गेज 63 एमएम, एंगल फ्रेम अन्दर 1 ईंच,टंकी का वजन 29 किलोग्राम, हैण्डल सहित मय दो दस्ती साईड, जोड़ इन्टरलॉकिंग सिस्टम द्वारा	600	12.00 लाख	24000/–	
2	जी0पी0 सीट से निर्मित लोहे की गोल टंकी मय ढक्कन, क्षमता 1 क्विंटल आधा ढक्कन खुलने योग्य, ढक्कन कब्जा पत्ती द्वारा खुले, साईज उंचाई 28 ईंच डायामीटर 20 ईंच, जी0पी0 सीट का गेज 63 एमएम, 1–1/4 एमएम पत्ती के कड़े, टंकी का वजन 9 किलोग्राम, कुण्डा ताला लगाने के लिये मय दो दस्ती, जोड़ इन्टरलॉकिंग सिस्टम, नीचे गोलाकार लोहे की एंगल सहित	600	3.50 लाख	7000/–	
3	परात (एल्यूमिनियम) क्षमता 10 किलो आटा गोंदने हेतु, साईज 28 ईंच, चदर एल्यूमिनियम 22 गेज, वजन 2 किलोग्राम, गहराई 4 ईंच, अन्दर का व्यास 21 ईंच, उपर का व्यास 24 ईंच	300	1.00 लाख	2000/–	
4	टोपिया ढ़क्कन सहित (एल्यूमिनियम), क्षमता 10 किलो चावल पकाने हेतु, साईज 39 ईंच, वजन 5.200 किलोग्राम, गहराई 10 ईंच, उपर का व्यास 20 ईंच, एल्यूमिनियम चदर 22 गेज,	600	6.00 लाख	12000/–	
5	टोपिया ढ़क्कन सहित (एल्यूमिनियम) क्षमता 5 किलो सब्जी पकाने हेतु, साईज 33 ईंच, वजन 3 किलोग्राम, गहराई 8.5 ईंच, उपर का व्यास 17.5 ईंच, एल्यूमिनियम चदर 22 गेज,	600	3.00 लाख	6000/–	
6	कड़ाई (लोहे की बिना जोड़ वाली)दो कड़ों सहित, साईज 24 ईंच, वजन 4.700 किलोग्राम	100	0.35 लाख	700/–	
7	बाल्टी (एल्यूमिनियम) साईज 15 लीटर	500	1.00	2000/–	

	एल्यूमिनियम चदर 24 गेज, वजन 1.5 किलोग्राम		लाख		
8	बड़ा चम्मच स्टील (कड़छी) मय लकड़ी के हत्थे सहित, साईज 19 ईंच लम्बा, वजन 225 ग्राम	500	0.40 लाख	800 / —	
9	स्टेनलेस स्टील की मजबुत एवं आईएसआई मार्का तीन खानों वाली थाली, साईज 12 ईंच, स्टील चदर की गेज 26 एमएम, वजन 200 ग्राम	7500	3.00 लाख	6000 / —	
10	लोहे की बड़ी तवी मय लोहे की कड़ी सहित, लोहे की चदर 18 गेज, वजन 6.5 किलोग्राम, साईज व्यास 22 ईच	100	0.50 लाख	1000 / —	

11 फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से ....की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। माल सुपुर्दगी निम्नप्रकार से की जाऐगी।

मात्रा...अवधि / दिनांक यदि कोई हो ....

12. ऊपर उद्वत की गई दरें.....................................तक के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर किया जाता है।

13. इसके साथ बिक्री कर पंजियन एवं बिक्री कर चुकती प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

fufonknkrk ds gLrk{kj

&%% fufonknkrk dh ?kks"k.kk %%&

मै/हम यह घोषणा करता हूं/करते है कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य का पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि जो पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग /सीमा तक स्वीकार किया है को रद्द किया जा सकेगा।

fufonknkrk ds gLrk{kj
¼e; iw.kZ irk ,oa eksckbZy u0½

dk;kZy; ftyk ifj"kn guqekux< ftyk guqekux< esa jk"Vªh; iks"kkgkj

dk;Øe ds vUrxZr jlksbZ ?kj midj.k Ø; gsrq vkefU=r fufonk dk fy,

—:: तकनीकी निविदा ::—

1	फर्म का नाम (साझेदारी फर्म हो तो साझेदार के नाम व पते तथा डीडी संलग्न करें)	....
2	फर्म का पता :	....
3	टेलीफोन नं0 मोबाईल नं0 फैक्स नं0	....
4	क्या फर्म रसोई धर उपकरण आपूर्ति हेतु रजिस्ट्रार ऑफ फर्म/राज्य बिक्री कर अधिनियम से पंजीकृत है। (यदि है तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
5	आर.एस.टी/सी.'एस.टी. (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
6	फर्म की वित्तीय स्थिति बैंक नाम व खाता संख्या बैंक साख सीमा (न्यूनतम रूपये पांच लाख) (बैंक प्रबन्धक का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
7	फर्म के पिछले तीन वर्षो की टर्न ऑवर (प्रमाण स्वरूप सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट, बिक्री कर विवरणिका वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 संलग्न करें)	....
8	आयकर पंजीयन संख्या व शोधन प्रमाण पत्र सलग्न करें।	....
9	फर्म निविदा कार्य के व्यापार में कब से कार्यरत है	....
10	क्या मालों के थोक विक्रेता/डीलर होने का घोषणा पत्र (एस आर 3) संलग्न किया है।	....
11	संलग्न धरोहर राशि का विवरण 1. धरोहर राशि 2. डीडी नं0 व दिनांक 3. बैंक शाखा का नाम	....
12	गत पांच वर्षो का लिटिगेशन विवरण यदि हो तो अन्यथा नहीं होने की घोषणा	....

fufonknkrk ds gLrk{kj e; eksgj